

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

वेबसाइट - www.mpmboard.gov.in

भोपाल, दिनांक 10/10/2023

क्र/बोर्ड/नियमन/630 / 3841


प्रति

1. संयुक्त संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)।
2. सचिव  
कृषि उपज मंडी समिति .....(समस्त)।

विषय : मंडी फीस दर के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना बाबत।

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्र-AGR-5-0018-2023-Sec-2 चौदह(AGR) दिनांक 06 अक्टूबर 2023 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


  
संयुक्त संचालक (नियमन)  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 10/10/2023

क्र/बोर्ड/नियमन/630 / 3842

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। पूर्व में इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है। आगामी कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित।

  
संयुक्त संचालक (नियमन)  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326 ]

भोपाल, शक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-AGR-5-0018-2023-Sec-2-चौदह (AGR) .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर मंडी फीस की वर्तमान प्रभावी दर 1.50/- रुपये के स्थान पर 1.00/- रुपये नियत करती है. जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में 1.00/- रुपये या उससे कम मंडी फीस की दर लागू हैं वह यथावत् लागू रहेंगी.

2. मंडी फीस के विभाजन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे.
3. उक्त दर अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण भटनागर, उपसचिव.